न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :- 130/2016

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र रंगराव जाति मीणा निवासी शेरपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (मृतक) ।
1/1. मु0 मिश्री देवी पत्नी रामजीलाल
1/2. सुशीला पुत्री रामजीलाल
1/3. नर्बदा पुत्री रामजीलाल
1/4. कैलाशी देवी पुत्री रामजीलाल
1/5. किशनी पुत्री रामजीलाल
1/6. शारदा पुत्री रामजीलाल
1/7. साधुराम पुत्र रामजीलाल
1/8. प्रकाश पुत्र रामजीलाल
1/9. मदनलाल पुत्र रामजीलाल
समस्त जाति मीणा नि. शेरपुरा तह0 शाहपुरा, जयपुर

वादीगण

बनाम

1 रामसिंह पुत्र भागीरथ
2. मोहनलाल पुत्र भागीरथ
3. मु0 सरबती देवी बेवा भागीरथ
4 रामकरण पुत्र भुराराम
5. कैलाश पुत्र भुराराम
6. नागर पुत्र भुराराम
7 रामेश्वर पुत्र कल्या
8. बाबुलाल पुत्र कल्या
9. नौरता पुत्र कल्या
10. मु0 भागौती बेवा कल्या
11. विनोद पुत्र रामचन्द्र
12. अनोप बेवा रामचन्द्र
13. रोहिताश पुत्र कल्या
14. गणेश पुत्र रूघनाथ
15. रोडु पुत्र रूघनाथ
16. चन्दा पुत्र रूघनाथ
17. बदामी पत्नी गिरधारी
18. अशोक पुत्र गिरधारी
19. बनारसी पत्नी हजारी लाल
20. सुरेश पुत्र हजारी लाल
21. मंजू पुत्री हजारी
22. अंजू पुत्री हजारी
23. सुमन पुत्री हजारी
24. भोदू पुत्र फूला
समस्त जाति मीणा नि. शेरपुरा तह0 शाहपुरा, जयपुर
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् बंटवारा एवं निश्चयकरण व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत दफा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 15.07.2019

1. वादी की ओर से उपर्युक्त उनवानी दावा बाबत बंटवारा एवं निश्चयकरण लगान एव स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान आरटी. एक्ट के तहत जरिये अधिवक्ता श्री रमेशचन्द्र शर्मा दिनांक 09.10.2014 को न्यायालय हाजा मे इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शेरपुरा स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 1750/0.1800, 1751/0.0200, 1754/0.2400, 1756/0.1100, 1757/0.0500, 1758/0.0900, 1759/0.6300, 1760/0.7000, 1761/0.2500, 1762/0.2100, 1763/0.2200, 1764/0.0700, 1765/0.1300, 1767/0.3700, 1768/0.1100, 1770/0.22 कुल किता 16 रकबा 3.8000 है0 मे वादी का 1/4 हिस्सा स्थित है तथा खसरा नम्बर 1766/0.4900 मे वादी का कोई हिस्सा राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही है, परन्तु वादी उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 24 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मे शामिल काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने अपनी उक्त सहखातेदारी की भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा मौके पर बाहमी बंटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। लेकिन दिनांक 14.09.2014 को वादी अपने हिस्से की सहखातेदारी की भूमि मे काश्त करने गया तो समस्त प्रतिवादीगण एक राय व एकत्रित होकर आये और एलानिया कहा कि हम बिना बंटवारा के तुमको बाहमी बंटवारा के इतने साल से करने दे रहे है, अब जमीन काश्त नही करने देंगे, यह हमारी शामलाती भूमि है, प्रत्येक इंच पर सभी का हिस्सा है और वादी को अपने हिस्से की समस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा के यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यही निम्नयें दावा है।

2. प्रतिवादी संख्या 25 भूमि धारक है तथा मौके पर नियमानुसार कानुनी बंटवारा कार्यवाही करने के आवश्यक है, इसलिए वाद पत्र मे आवश्यक कानूनी पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।

3. दावा अन्दर मियाद है तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है, जिसे सुनने व तय करने का मान्य न्यायालय को अधिकार प्राप्त है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे अथवा अन्य सहायता वादी के हक में उचित हो वह भी दिलवाई जावे तथा वादी को वाद खर्चा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

4. दावा प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी जारी करवाई गई।

5. प्रकरण में जवाब दावा होने पर पत्रावली दिनांक 28.6.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खोरी मे पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन किया जाकर दावा अभिलिखित सहखातेदारान के हिस्से की भूमि का बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का होने से राजस्व लोक अदालत की भावना से दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजी मुतवादिया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज व मौके के अनुसार राजस्व बोर्ड के नियमानुसार सहखातेदारान की उपस्थिति में बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट तलब करने के आदेश प्रदान किये गये।

6. न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.6.2017 की अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से अपने पत्रांक/भू.अ./2017/6737 दिनांक 27.7.2017 के द्वारा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

...कलक्टर एव
कार्यपालक मजिस्ट्रेट ...
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

7. प्रतिवादी संख्या 6, 7 व 10 की ओर से दिनांक 24.7.2017 को प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थना पत्र पुर्नविचार एवं प्रारम्भिक आपत्ति का प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि प्राथमिक डिक्री [illegible] राजस्व केम्प कोर्ट खोरी में बिना पक्षकारान की उपस्थिति एवं राजीनामा के [illegible] किया गया है [illegible] दावा केवल बंटवारा का ही नहीं है, बल्कि निश्चयकरण लगान इत्यादि का भी है [illegible] वादी का हिस्सा भी दर्ज नही है। प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत काफ्रमटर क्लेम का भी [illegible] नहीं किया गया है। इसलिए भी प्राथमिक डिक्री आदेश पत्रावली के रिकार्ड पर उपस्थित स्थिति के [illegible] निरस्त किये जाने योग्य है।

8. अप्रार्थी/वादीगण की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के [illegible] में वर्णित को अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि वादी का वाद काफी समय से [illegible] है। राज्य सरकार की ओर से चलाये जा रहे राजस्व अभियान का मकसद न्यायहित में [illegible] प्रकरणों के निस्तारण किये जाने का है, इसलिए मान्य न्यायालय ने मौके एवं रिकार्ड के [illegible] बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्राथमिक डिक्री जारी कर [illegible] आदेश प्रदान किये हैं, जो कि लोक अदालत की भावना से सही जारी किये गये है। [illegible] के निस्तारण में देरी करने की मन्शा से उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी/वादी को परेशान करने [illegible] किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

9. हस्तगत प्रकरण में पुर्नःविचार एवं प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार शाहपुरा [illegible] ओर से प्रस्तुत की गई बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट पर उभयपक्षों को सुना गया।

10. विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र एवं जबाब प्रतिदावा व पुर्नविचार एवं [illegible] आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी [illegible] संयुक्त रूप से अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार है तथा आपसी रजामन्दी से [illegible] अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है एवं अपने हिस्से की सम्मिलित खातेदारी की भूमि का [illegible] तकास्मा न्यायालय से करवाकर अपना अलग खाता खुलवाने का अधिकारी है। प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट रिकार्ड एवं मौके पर मौतिक कब्जो के आधार पर तैयार करवाकर पेश की है। अतः उक्त कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर [illegible] से बंटवारा स्वीकार कर दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की।

11. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने बहस का जबाब देते हुए अपने जबाबदावा [illegible] रिव्यू व आपत्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 28.6.2017 का निरस्त करने की गुजारिश की। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का यह भी कहना था कि राजस्व अभिलेख में दर्ज सहखातेदार गणेश, सेडू पि0 रूघनाथ, मु0 छाटी पत्नि [illegible] पुत्र झूंथा के फौत हो जाने के बावजूद भी वादी ने जानबूझकर गणेश व सेडू को प्रतिवादी संख्या [illegible] बनाया है, इस कारण दावा अबैटमैन्ट हो चुका है एवं कानूनन दावा चलने योग्य नहीं है [illegible] अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें।

12. हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया तथा प्रकरण के तथ्यो एवं कुर्रेजात की रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन कर मनन किया।

कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रैक)
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

13. प्रथमतः विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कहना था कि हस्तगत वाद में प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा के निस्तारण किये बिना प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 28.6.2017 [illegible] है। प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से जाहिर है कि वादी द्वारा अपनी संयुक्त अभिलेखित सहखातेदारी की भूमि का बाहमी बंटवारा के अनुसार विधिक बंटवारा स्वीकार कर उसका अलग खाता खुलवाने आदि एवं उसके हिस्से की भूमि की तन्हा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की इच्छा की है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिदावा में वादी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज उसके हिस्से की खातेदारी की भूमि पर कोई आपत्ति नहीं की है, अपितु आराजी मुतदाविया के साबिक रकबा के मुकाबिले हाल सैटलमैन्ट [illegible] द्वारा करीब 42.5 एयर जमीन कम अंकित करने से इसकी कमी पूर्ति करवाने तथा सैटलमैन्ट कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी संख्या से लगायत 13 के बुजुर्ग भूरा एवं कान्हा उर्फ कल्याण के फौत होने पर उनके हिस्से अनुसार उनके फूट स्टेप पर खातेदारी दर्ज नहीं करना जाहिर करते हुए उनके हिस्से की भूमि पर वादी व उनके वारिसान का तथा शेष प्रतिवादीगण का कोई कब्जा सब्जा नहीं बताया है तथा सैटलमैन्ट ने राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन करने आदि के तथ्य अंकित करते हुए खातेदारी अधिकार की [illegible] करने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि वादी का हस्तगत दावा केवल अपनी सहखातेदारी की भूमि के अपने हिस्से व बाहमी बंटवारा में उसके हिस्से में आई भूमि के कब्जे के आधार पर विधिक [illegible] गया है और एक अभिलिखित सहखातेदार को अपने सहखातेदारी के हिस्से के रकबे के अनुसार विधिक रूप से तकासमा करवाकर अपना अलग खाता खुलवाने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में सैटलमैन्ट के दौरान निर्धारण हुए कम रकबे एवं गलत अंकन को दुरूस्त करवाने के प्रतिदावा के [illegible] वादी को उसके अभिलिखित सहहिस्से की भूमि के बंटवारा करवाने के विधिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि प्रतिवादीगण को सैटलमैन्ट की गलतियों को दुरूस्त करवाना है तो वे दुरूस्ती [illegible] अपना अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है। अतः प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार [illegible] [illegible]।

द्वितीयतः वादी द्वारा हस्तगत वाद में अपनी अभिलिखित सहखातेदारी की भूमि पर बाहमी [illegible] के अनुसार कब्जे काश्त की भूमि पर विधिक बंटवारा स्वीकार कर तन्हा खातेदारी [illegible] है लेकिन उनके द्वारा आपसी रजामन्दी से पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवारा होने के संबंध में कोई दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत प्रस्तुत नही की गई है एवं ना ही अपनके किसी विशेष भू भाग पर बाहमी बंटवारा के अनुसार तन्हा रूप से भौतिक रूप से काबिज काश्त होने के संबंध में कोई दस्तावेजी रिकार्ड शाहदत पेश की गई है। स्वम् प्रतिवादीगण के द्वारा भी वादी के किसी विशेष भू भाग पर काबिज काश्त होने के कथनों को गलत होना बताकर अस्वीकार किया है। चूंकि अभिलिखित सहखातेदारी की भूमि का अन्ततोगत्वा उनके हिस्से के रकबा का निर्धारण का विधिक रूप से बंटवारा करवाया जाना है। इन सब तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारान के अभिलिखित सहखातेदारी की भूमि पर विधिवत विधिक बंटवारा करवाने के लिए राजस्व अभियान कैम्प कोर्ट खोरी में लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 28.6.2017 पारित कर रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट तलब करने के आदेश प्रदान किये गये है। इस पर प्रतिवादीगण की ओर से पुर्नःविचार एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमे राजस्व अभिलेख एव मौके की स्थिति के अनुसार सह खातेदारो की भूमि का विभाजन कराने से उनके विधिक अधिकारो पर क्या विपरित प्रभाव पडेगा, इस संबंध मे कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नही की गई है। इसलिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का उक्त पुर्नःविचार किया एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्य भी [illegible] स्वीकार योग्य नहीं है।

[illegible signature and stamp]

Scanned by CamScanner

15. तृतीयतः विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की यह भी आपत्ति थी कि हस्तगत दावा मे मरे हुए व्यक्तियों को भी आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 14 व 15 संयोजित किया गया है [illegible] से चलने योग्य नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि प्रस्तगत प्रकरण मे वादी की ओर से मृतक पक्षकार प्रतिवादी सं0 15 सेडू पुत्र रूधनाथ एव मृतक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 14 गणेश पुत्र रूधनाथ के वारिसान एवं कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने के लिए अलग-अलग प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सी0पी0सी के तहत मय शपथ पत्र एव मय प्रार्थना पत्र दफा 5 [illegible] मय शपथ पत्र दिनांक 5.10.2015 को प्रस्तुत किये जा चुके थे, किन्तु अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से इनका जबाव प्रस्तुत नहीं किये गये। चूँकि प्रा0पत्र मे वर्णित तथ्यो की ताईद मे शपथ पत्र व [illegible] कराने के लिए दफा-5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः देरी को [illegible] कर प्रार्थी/वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार कर मृतक पक्षकारान प्रतिवादी सं0 14 व 15 को रिकोर्ड पर लेने के आदेश प्रदान किये जाते है

16 चतुर्थतः बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट मे आराजी मुतदावदिया व आराजी खसरा नम्बर 1766/0.49 हे0 के बटा नम्बर 1766/2 रकबा 0.1225 हे0 भूमि कुर्रेजात रिपोर्ट मे वादी के [illegible] प्रस्तावित की है, उक्त आराजीयात की सहखातेदारी राजस्व अभिलेख मे वादी के नाम [illegible] रिकार्ड [illegible] स्वम् वादी ने भी अपने वाद पत्र के जिमन न0 2 में उक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए मौके पर [illegible] आराजीयात मे अपने सम्मिलित हिस्से के मुताबिक कब्जा काश्त होना बताया है। कुर्रेजात की [illegible] रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार बंटवारानामा में वादी के हक मे उक्त आराजीयात के [illegible] तन्हा खातेदारी प्रस्तावित की है। अतः पक्षकारान/सहखातेदारान के सम्मिलित सहखातेदारी की भूमि [illegible] [illegible]दी से भौतिक कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए एक्सचेन्ज के आधार पर वैधिक भूमि विभाजन [illegible] [illegible] उक्त आराजीयात की खातेदारी स्वीकार की जाना हम उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं

17 [illegible]वारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट में सहखातेदार गणेश पुत्र रघुनाथ, छोटी पत्नि स्व0 [illegible] पुत्र झूंथा व रामजीलाल पुत्र रंगराव मीणा की मृत्यु होना जाहिर की है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के जिमन न0 3 में उल्लेखित किया है कि सहखातेदार मु0 छोटी पत्नि फूला व सूवा पुत्र झूथा [illegible] हो चूका है, उनके विधिक वारिस बोदू पुत्र फूला रिकार्ड पर आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी स0 24 है [illegible] पक्षकार वादी रामजीलाल पुत्र रंगराव मीणा के वारिसान एवं कायम मुकामान को प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 स्वीकार होने पर पूर्व में ही रिकार्ड पर लिये जा चुके हैं तथा अन्य पक्षकारान गणेश, सेडू पुत्रान रूधनाथ के वारिसान एवं कायम मुकामान को रिकार्ड पर लेने के प्रा0पत्र स्वीकार किये गये है। अतः उक्त मृतक सहखातेदारान के फूट स्टेप पर उनके बाहमी बंटवारा में आई हिस्से की भूमि का उनके विधिक वारिसान के नाम खातेदारी राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

18. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा एवं पुर्नःविचार व आपत्ति प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत की गई बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री किया जाकर आराजी मुतदावदिया की सहखातेदारी में से अन्य सहखातेदारान का नाम कलमजन करके उनके स्थान पर गांव शेरपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बरान, 1750/0.1800, 1751/0.0200, 1754/0.2400, 1756/0.1100, 1757/0.0500, 1758/0.0900, 1759/0.8300, 1760/0.7000, 1761/0.2500, 1762/0.2100, 1763/0.2200, 1764/0.2700, 1765/0.1300, 1767/0.3700, 1768/0.1100, 1770/0.22 कुल किता 16 रकबा 3.8000 हे0 में वादी का 1/4 हिस्सा स्थित है तथा खसरा नम्बर 1766/0.4900 हे0 भूमि मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर पक्षकारान के मध्य तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात बंटवारनामा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

कलक्टर एवं
कार्यालय [illegible]

Scanned by CamScanner

(1.) रामकरण कैलाश पि0 भूरा हिस्सा 6/64, नागर पुत्र भूरा रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी मुर्तहीन हिस्सा 1/32, रामेश्वर बाबुलाल नौरता पि0 कल्या भागोति बेवा कल्या विनोद पुत्र रामचन्द्र अनोप बेवा रामचन्द्र हिस्सा 5/48, रोहिताश पुत्र कल्या रहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा खोरी मुर्तहीन हिस्सा 1/48, गणेश फौत के बजाय विधिक वारिस रामेश्वर नारायण सोहन पि0 गणेश, चन्दा पि0 रुधनाथ हिस्सा 1/4, माया पत्नि विरेन्द्र कुमार विद्या पत्नि पूरणमल पूर्णी पत्नि गोपाल हिस्सा 1/24 कौम मीना सा.देह बनारसी देवी पत्नि हजारी लाल मामली देवी पत्नि अशोक कुमार हिस्सा 1/24 कौम मीना सा.देह पतासी पत्नि रामेश्वर संतोष पत्नि नारायण सुनीता पत्नि गोर्वधन हिस्सा 1/24 बिदामी पत्नि स्व0 गिरधारी हिस्सा 5/56 अशोक पुत्र गिरधारी हिस्सा 1/56 बनारसी पत्नि स्व0 हजारी सुरेश पुत्र हजारी मंजू अंजू सुमन पुत्रियान् हजारी हिस्सा 1/56 बोदू पुत्र फूला मु0 छोटी पत्नी स्व0 फूला हिस्सा 1/8 सूवा पुत्र झूंथा हिस्सा 1/8 कौम मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नं0 1759/0.63 है0, 1760/1 रकबा 0.3450 है0, 1764/0.27 है0, 1765/0.13 है0, 1767/0.37 है0, 1768/0.11 है0 कुल किता 6 रकबा 1 8550 है0 भूमि रहेगी।

(2.) रामसिंह मोहनलाल पि0 भागीरथ कौम मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नं0 1750/0.18 है0, 1751/0.02 है0, 1760/2 रकबा 0.17 है0, 1761/1 रकबा 0.1175 है0, 1763/0.22 है0, 1770/0.22 है0 कुल किता 06 रकबा 0.9275 है0 भूमि रहेगी।

(3.) रामजीलाल पुत्र रंगराव फौत के बजाय वादी संख्या 1/1 लगायात 1/9 साहिन मरूधरा ग्रामीण शाखा खोरी मुर्तहीन कौम मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 1754/0.24 है0, 1760/0.1850 है0, 1761/0.1325 है0, 1762/0.21 है0, 1756/0.11 है0, 1757/0.05 है0 कुल किता 06 रकबा 0.9275 है0 भूमि रहेगी।

(4). रामेश्वर बाबुलाल नौरता पि0 कल्या भागोति बेवा कल्या विनोद पुत्र रामचन्द्र अनोप बेवा रामचन्द्र रामकरण कैलाश नागर पि0 भूरा कौम मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 1766/0 2450 है0 भूमि रहेगी।

(5.) रामसिंह मोहनलाल पि0 भागीरथ मु0 सरबती बेवा भागीरथ कौम मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में 1766/1 रकबा 0.1225 है0 भूमि रहेगी।

(6.) रामजीलाल पुत्र रंगराव फौत के बजाय वादी संख्या 1/1 लगायात 1/9 कौम मीना सा.देह खातेदार के हिस्से में 1766/2 रकबा 0.1225 है0 भूमि रहेगी।

(7.) आराजी खसरा नम्बर 1758/0.09 है0 शामीलात जमाबन्दी अनुसार रहेगी।

अतः उभयपक्षों को हमेशा हमेशा के लिए जरिय स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारा में पक्षकारान के हिस्से में आई एक–दूसरे की भूमि में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे, अपितु अपने अपने हिस्से की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे। बंटवारानामा की कुरेजात की रिपोर्ट इस निर्णय का जुज समझा जावे। दर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदानुसार डिक्री मुर्तिब होकर डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित करके राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम कर अलग–अलग खाते खोले जाकर लगान का निर्धारण करवाने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा (जयपुर) को पालनार्थ तहरीर जारी हो

19. निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (...)
शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner